

2017/00249

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

माण्डला कार्यालय, माण्डलगढ़-94146/6491

ता. पेकी

स्टेज

3/7/17

9/7/17

26/9/17

22/11/17

18/12/17

31/1/18

12-3-2018

24/4/18

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
212 RTI	39/17	25/5/17	11/6/18 वैश्य दामोदर	

अनवान

श्री. चोंटू 0/0 मैवानाथ श्री. शंकरनाथ 0/0 मैवानाथ

निवासी. भरतसुजी का खेडा निवासी. धामोदर का कौरा 5
तह. माण्डलगढ़ तह. माण्डलगढ़

श्री. संदीप शर्मा
अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ़
 बनाम शंकर नाथ
 नं. 39/17 सन्
 212 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

3/18

~~...~~
~~...~~
 दिनांक 24/4/18
 कल
 ग
 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डलगढ़

18

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैन्स धामनिया
 पर पैदा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी
 की स्कण्डीय बहस सुनी गई। बहस में वकील
 प्रार्थी ने दिनांक 25/5/2017 को जारी स्वगन
 आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक जारी
 रखने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस
 पर बन्ना किया गया जिसमें पाया गया कि
 वकील प्रार्थी के स्वगन आदेश को मूल वाद के
 निस्तारण तक जारी रखना उचित प्रतीत होता
 है। अतः दिनांक 25/5/2017 को किये गये स्वगन
 आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक जारी
 रखने का आदेश दिया जाता है।
 पत्रावली कैन्सल शुमार दीवख नम्बर से
 कर हो।

ग
 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डलगढ़